

प्रेस नोट

थाना एरच, जनपद झाँसी

दिनांक 22.06.2026

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभावी कार्यवाही।
- थाना एरच पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत वारंट के अनुपालन में वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।
- गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेशा।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ व पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना एरच पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत वारंट के अनुपालन में वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम., गरौठा, झाँसी द्वारा निर्गत आदेशिका/एनबीडब्ल्यू के अनुपालन में केस संख्या- 3033/09, अ0सं0 NCR-25/09, धारा 323/504/506 भादवि, थाना एरच, जनपद झाँसी से संबंधित वारण्टी अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र सुम्मेर, निवासी ग्राम खमा, थाना एरच, जनपद झाँसी, उम्र लगभग 36 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. गिरफ्तार अभियुक्त का नाम एवं पता-

सुरेन्द्र पुत्र सुम्मेर, निवासी ग्राम खमा, थाना एरच, जनपद झाँसी, उम्र लगभग 36 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह, चौकी प्रभारी बामौर
2. का0 लोकेन्द्र सिंह
3. रि0का0 तेजवीर सिंह